भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3459

10.08.2026 को उत्तर के लिए

शहरी क्षेत्रों में माइक्रोप्लास्टिक संबंधी प्रदूषण

3459. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के शहरी क्षेत्रों में माइक्रोप्लास्टिक संबंधी प्रदूषण की व्याप्तता के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) क्या लोगों के स्वास्थ्य और शहरी पर्यावरण पर इसके प्रभाव की जांच करने के लिए कोई अध्ययन किए गए हैं;

(ग) क्या शहरों में माइक्रोप्लास्टिक संबंधी संदूषण के आकलन के लिए कोई निगरानी या मानचित्रण ढांचा विकसित किया गया है; और

(घ) शहरी क्षेत्रों में माइक्रोप्लास्टिक संबंधी प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ): राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा किए गए अध्ययनों में नदीय तथा तटीय क्षेत्रों में माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति पाई गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अंतर्गत राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (एनआईआरईएच) द्वारा मानव शरीर में माइक्रो प्लास्टिक की उपस्थिति संबंधी अध्ययनों की एक व्यवस्थित समीक्षा की गई है। विभिन्न संस्थानों द्वारा नमूना संग्रहण एवं विश्लेषण के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली तथा निगरानी पहलों से प्राप्त निष्कर्षों का विवरण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी) तथा राष्ट्रीय संधारणीय तटीय प्रबंधन केंद्र (एनसीएससीएम) सहित समिति द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रलेखित किया गया है।

निस्तारित तथा अनुचित रूप से प्रबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट, जिसमें माइक्रो प्लास्टिक भी शामिल हैं, से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कम उपयोगिता तथा अधिक कूड़ा फैलाने की संभावना वाले चिन्हित एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों पर 01 जुलाई, 2022 से प्रतिबंध लगा दिया है। अधिसूचना के माध्यम से दिनांक 31 दिसंबर, 2022 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैगों के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय तथा उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 16 फरवरी, 2022 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022 के अंतर्गत प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) संबंधी दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के रीसाइकलिंग, कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग के पुनः उपयोग तथा रीसाइकिल्ड प्लास्टिक सामग्री के उपयोग के लिए अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में प्लास्टिक के स्थान पर संधारणीय प्लास्टिक पैकेजिंग अपनाने का प्रावधान है। वर्ष 2022 से अब तक लगभग 233 लाख टन प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया जा चुका है।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन भी शामिल है, के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है। जल निकायों में माइक्रो प्लास्टिक की उत्पत्ति सहित नदी प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना तथा नमामि गंगे कार्यक्रम जैसी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर सुदृढ़ करती है, ताकि विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों सहित नदी प्रदूषण की चुनौतियों का प्रभावी समाधान किया जा सके।
